

नागरकिता अधनियम की धारा 6A

प्रलिमिस के लिये: सर्वोच्च न्यायालय, नागरकिता अधनियम, 1955 की धारा 6A, NGO, वरष 1985 का असम समझौता, बांग्लादेश मुक्ता संग्रहालय

मेन्स के लिये: नागरकिता अधनियम, 1955 की धारा 6A की वरिष्ठताएँ, असम समझौते से संबंधित मुद्दे, नागरकिता अधनियम 1955 की धारा 6A के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के नहितारथ।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने नागरकिता अधनियम, 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जो असम में रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरकिता प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है, तथा इसे बंधुत्व के प्रस्तावना मूल्य से जुड़ा एक वैध कानून माना है।

- न्यायालय के अनुसार, बंधुत्व के सदिधान का प्रयोग असमिया नागरकिं के एक समूह के लिये चुनिदा रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरे समूह को "अवैध आप्रवासी" करार दिया जा सकता है।
- याचिकाकर्ता NGO ने न्यायालय में तरक दिया कि धारा 6A अवैध आप्रवासियों को प्रवेश देकर और उनकी जनसांख्यिकी में बदलाव करके असमिया लोगों के अपनी राजनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के अधिकार को खतरे में डालती है।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है?

बहुमत के साथ नरिण्य:

- संवैधानिक वैधता की पुनः पुष्टि: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धारा 6A संवधिन के अनुच्छेद 6 और 7 का उल्लंघन नहीं करती है, जिसमें पूर्वी और पश्चामी पाकसितान से आने वाले प्रवासियों को नागरकिता प्रदान करने के लिये 26 जनवरी, 1950 की तथि निरिधारित की गई है।
 - धारा 6A अनुवर्ती तथि से लागू होती है, अतः यह पूर्वर्ती संवैधानिक प्रावधानों से अलग करती है।
 - 24 मार्च, 1971 तक की समय सीमा सही है। क्योंकि पाकसितानी सेना ने 26 मार्च, 1971 को पूर्वी पाकसितान में बांग्लादेशी राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिये ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था।
 - न्यायालय ने कहा कि यह साबति करने में असफल रहे कि धारा 6A के कारण असमिया लोगों की अपनी संस्कृति की रक्षा करने की कृष्णता प्रभावति हुई है।
 - न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान पहले से ही असम के सांस्कृतिक और भाषाई हितों की रक्षा करते हैं।
- संघ की शक्ति: संसद ने अनुच्छेद 246 और संघ सूची की प्रविष्टि 17 से प्राप्त शक्तियों के तहत धारा 6A को अधनियमित किया, जो नागरकिता, प्राकृतिकरण और वादिशियों से संबंधित है।
 - असम का विशेष नागरकिता कानून अनुच्छेद 14 (समानता) का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि राज्य की प्रवासी स्थितिशेष भारत से भन्निं थी।
- मामले की पहचान: न्यायालय ने इस बात पर सहमतिव्यक्त की है कि असम बांग्लादेश से लगातार हो रहे प्रवास के कारण गंभीर रूप से प्रभावति हुआ है।

- इस बात पर ज़ोर दिया गया कि एक राष्ट्र सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए तथा संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करते हुए आपरवासियों और शरणार्थियों को एक साथ समायोजित कर सकता है।
- उत्तरदायित्व स्पष्ट करना: इस बात पर बल दिया गया कि इस स्थितिके लिये केवल धारा 6A को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये।
 - वर्ष 1971 के बाद बांग्लादेश से आए आपरवासियों का समय पर पता लगाने और उन्हें नरिवासित करने में सरकार की वफ़िलता इसका एक प्रमुख कारण थी।
- व्यवस्था की आलोचना: न्यायालय ने पाया कि असम में अवैध आपरवासियों की पहचान करने हेतु ज़मिमेदार वर्तमान तंत्र और न्यायाधिकरण अपर्याप्त है।
 - ये प्रणालयों धारा 6A और संबंधित कानूनों, जैसे कि आपरवासी (असम से निषिकासन) अधनियम, 1950 तथा विदेशी अधनियम, 1946 के समय पर प्रवरतन के लिये प्रयोग होती हैं।
- नगिरानी की आवश्यकता: आवरजन और नागरकिता कानूनों के प्रवरतन के लिये न्यायिक नगिरानी की आवश्यकता होती है तथा इसे प्राधिकारियों के विकास पर नहीं छोड़ा जा सकता।
 - न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश से असम में इन कानूनों के कार्यान्वयन की नगिरानी के लिये एक पीठ गठित करने को कहा।

• असहमतपूर्ण राय:

- असहमतपूर्ण दृष्टिकोण: असहमतपूर्ण दृष्टिकोण ने धारा 6A को भावी प्रभाव से असंवेधानकि घोषित कर दिया, तथा इस चति को खारजि कर दिया कि विभिन्न जातीय समूह दूसरों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन करेंगे।
- अपरवासन और विकास: असहमतजिताते हुए कहा गया कि सतत विकास और जनसंख्या वृद्धिबन्धन संघरण के साथ-साथ चल सकते हैं।
 - अंतर्राज्यीय आवागमन पर प्रतिविधि याचकिकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप लगाया जा सकता है कि अपरवासन से सतत विकास के स्थानीय अधिकार प्रभावित होते हैं।

नागरकिता अधनियम 1955 की धारा 6A क्या है?

- धारा 6A:
 - इसे वर्ष 1985 के असम समझौते के बाद नागरकिता (संशोधन) अधनियम, 1985 के भाग के रूप में अधनियमित किया गया था।
 - यह विधियक 1 जनवरी, 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरकिता प्रदान करता है।
 - जो लोग 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच भारत में आए, उन्हें कुछ नरिधारत प्रकरणियों तथा शर्तों को पूरा करने के बाद नागरकिता प्रदान की जा सकती है।
 - हालाँकि, यह धारा 25 मार्च, 1971 के बाद असम में आये प्रवासियों को नागरकिता प्रदान नहीं करती है।
- असम समझौता:
 - असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था। इसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकना था।
 - धारा 6A को असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरकिता को संबोधित करने के लिये एक विशेष प्रावधान के रूप में अधनियमित किया गया था।
 - यह प्रावधान वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्रहाम से पहले बड़े पैमाने पर हुए प्रवास के मुद्दे को संबोधित करता है।
 - इसमें 25 मार्च, 1971 (बांग्लादेश के गठन का दिन) के बाद असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों का पता लगाने और उन्हें नरिवासित करने का प्रावधान है।
 - धारा 6A का लागू होना इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान असम के सामने आई विशिष्ट ऐतिहासिक और जनसांख्यिकीय चुनौतियों को दर्शाता है।

इस नियम के नहितिरथ क्या हो सकते हैं?

- आपरवासी मान्यता: धारा 6A को बरकरार रखते हुए, नियम बांग्लादेश से आए आपरवासियों (25 मार्च, 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले) को कानूनी संरक्षण और नागरकिता अधिकार प्रदान करता है।
 - इससे बांग्लादेश मुक्ति संग्रहाम में विस्थापित हुए लोगों की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिविदधता मज़बूत होती है।
- असमिया पहचान संरक्षण: बहुत के साथ न्यायालय द्वारा इस धारणा को खारजि कर दिया गया कि आपरवासियों की उपस्थिति स्वचालित रूप से असमिया लोगों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन करती है।
 - इसका तात्पर्य यह है कि जनसांख्यिकीय परिवरतनों के बावजूद, असमिया समुदाय के अधिकार मौजूदा संवैधानिक सुरक्षा प्रावधानों (अनुच्छेद 29 (1)) के माध्यम से संरक्षित हैं, कसिकि तहत उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने की अनुमति प्राप्त है।
- जनसांख्यिकीय बदलाव पर दबाव: आलोचकों के अनुसार, असम की सांस्कृतिक पहचान और वित्तीय संसाधन खतरे में हैं, क्योंकि निरितर अपरवासन के कारण राज्य के जनसांख्यिकीय संतुलन पर दबाव पड़ रहा है।
 - इससे स्थानीय स्तर पर सख्त अपरवासन कानूनों की मांग या यहाँ तक कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिये राजनीतिक सक्रियता को भी बढ़ावा मिल सकता है।
- संसाधन आवंटन: आपरवासी नागरकिता और इसके साथ आने वाले संसाधनों तथा अधिकारों के लिये पात्र बने रहेंगे, जिससे असम के पहले से ही सीमित आरथिक संसाधनों पर दबाव और बढ़ सकता है।
 - इसके लिये समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करने तथा आरथिक असमानताओं को रोकने के लिये अधिक मज़बूत नीतियों की आवश्यकता हो सकती है।
- अपरवासन कानूनों पर दबाव: नियम में अपरवासन कानूनों के अधिक प्रभावी क्रयियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया है, विशेष रूप से वर्ष 1971 की नरिधारत तथिके बाद प्रवेश करने वाले अवैध अपरवासियों का पता लगाने और उन्हें नरिवासित करने पर।

- बांग्लादेश संबंध: वर्ष 1971 के बाद के प्रवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता न देने से, इस नियम से बांग्लादेश के साथ तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इसे भारत द्वारा इन प्रवासियों के लिये अपने पड़ोसी पर जमिमेदारी डालने के रूप में देखा जा सकता है, जिससे संभावित रूप से राजनयिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है।
 - इस नियम से सीमा प्रबंधन, प्रवासन नियंत्रण और सुरक्षा पर क्षेत्रीय सहयोग प्रभावित हो सकता है, तथा भारत-बांग्लादेश संबंध जटिल हो सकते हैं।

दृष्टिभुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले का असम पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिये। यह फैसला मानवीय चतिओं और स्थानीय विकास चुनौतियों के बीच कसि तरह संतुलन स्थापित करता है?

<https://youtu.be/ODREjudRQM>

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रलिमिस:

प्रश्न. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. केवल एक नागरिकता और एक निवास स्थान का प्रावधान है।
2. एक नागरिक जन्म से ही राज्य का मुख्या बन सकता है।
3. एक बार नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी को कसी भी प्रसिद्धि में इससे वंचित नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 3
- (D) 2 और 3

उत्तर: (A)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-upholds-section-6a-of-citizenship-act>